

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुरादाबाद।

(एल-25, रामगंगा विहार, फेस-प्रथम, सोनकपुर स्टेडियम, कॉठ रोड, मुरादाबाद-दूरभाष सं०-0591-2450066)

पत्रांक 2348 / 141 दिनांक, मुरादाबाद, मार्च 18 2021.

सेवा में,

✓ वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,  
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

विषय:- जनपद मुरादाबाद में टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लि०, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद-चन्दौसी मार्ग (एन०एच०-509) कि०मी० चैनेज 6.150 से 16.500 तक मार्ग की बाँधी पटरी पर गैस पाईप लाईन बिछाने 0.6214 है० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगत कराना है कि जनपद मुरादाबाद में उप महाप्रबन्धक, टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लि०, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद-चन्दौसी मार्ग (एन०एच०-509) कि०मी० चैनेज 5.800 से 16.800 तक मार्ग की बाँधी पटरी पर गैस पाईप लाईन बिछाने 0.6216 है० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति का कार्य प्रस्तावित है, जिसके कारण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव भारत सरकार/शासन को प्रेषित किया जाना है।

अतः वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अनुसार निर्धारित प्रपत्रों में विषयक प्रस्ताव एम०ओ०ई०एफ० वेवसाईट पर डी०एफ०ओ०, मुरादाबाद के स्तर से फार्म-11 अपलोड कर दिया गया है तथा प्रस्ताव 4 प्रतियों में संलग्न कर संस्तुति सहित प्रेषित किया जा रहा है। कृपया अपने स्तर से अग्रिम कार्यवाही कर प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित करना चाहें।  
संलग्नक-प्रस्ताव की 4 प्रतियाँ मूल में।

भवदीय,

(कन्हैया पटेल)

प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,  
मुरादाबाद।

पत्रांक / दिनांकित।

प्रतिलिपि श्री सतीश चन्द्र वर्मा, उप महा प्रबन्धक, टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लि०, सी०एन०जी० स्टेशन, ग्राम धनुपुरा, 14 कि०मी० माईल स्टोन, एन०एच०-24, मुरादाबाद को विषयक क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(कन्हैया पटेल)

प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,  
मुरादाबाद।